①

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 15/2025
जीसीएमएस नं. : 2025/32

1. सुखविन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 8 जीबी, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर
–प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधि.
एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–
1. श्री बक्शीश सिंह थिंद, अधिवक्ता वादी
2. राजपैरोकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 16/12/2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि –

1. वादी ने जरिए अधिवक्ता वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से चक 7 जीबी बी तहसील श्रीविजयनगर का मु.नं. 31 प.नं. 137/387 कि. नं. 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 24, 25 का कुल 2.530है. नहरी मय खाला भूमि में से 1/2 हिस्सा रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता सं. 52 में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी की उपरोक्त भूमि वादी के बाल्यावस्था में वादी के माता पिता द्वारा क्रय की गई थी। वादी को बाल्यावस्था में वादी के माता पिता द्वारा प्यार से शोर्ट नेम सोनी उर्फ मनजीत सिंह के नाम से पुकारा जाता था इसलिये उक्त भूमि क्रय करते समय वादी को जिस शोर्टनेम से पुकारा जाता था वही रिकार्ड में दर्ज करवा दिया गया। जबकि उक्त भूमि रिकार्ड में दर्ज सोनी उर्फ मनजीत सिंह का वास्तविक एवं सही नाम सुखविन्द्र सिंह है। वादी के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, स्थानान्तरण पत्र, वोटर पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में वादी का नाम सुखविन्द्र सिंह ही अंकित है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत अंकित किये जाने की जानकारी वादी को दिनांक 02.01.2025 को पटवार हल्का से सम्पर्क करने पर हुई। जिस पर वादी ने अपना नाम दुरूस्त करने बाबत निवेदन किया तो उनके द्वारा इस बाबत माननीय न्यायालय में चाराजोरी करने का कहते हुए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया। बस यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:37:49 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

कारण है। वादी की भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी का नाम गलत अंकित कर दिया गया है। जो कि वादी को स्नेहवश एवं प्यार से पुकारे जाने वाले शोर्टनेम रिकार्ड में अंकित कर दिया गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम सुखविन्द्र सिंह है एवं समस्त पहचान बाबत दस्तावेज इसी वास्तविक नाम के बने हुए है। राजस्व रिकार्ड एवं पहचान बाबत बने समस्त दस्तावेज में नाम पृथक–पृथक होने से वादी को राजस्व कार्यो को करने, भूमि का फसल बेचान करने जो कि वर्तमान में ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा सरकार द्वारा खरीद करनी प्रारम्भ कर दी गई है, में उपज विक्रय करने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा व लगान अदा करने तथा अन्य कृषि कार्यो व राजस्व कार्यो को करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जिससे वालदी को भारी असुविधा एवं ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जबकि उपरोक्त त्रुटि को जरिये दुरूस्ती पत्र दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज सोनी उर्फ मनजीत सिंह के स्थान पर सुखविन्द्र सिंह नाम अंकित किया जाने पर प्रतिवादी या अन्य किसी भी व्यक्ति के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि वादी ही उपरोक्त जमाबंदी में सोनी उर्फ मनजीत सिंह के नाम से दर्ज भूमि का वास्तविक स्वामी है एवं स्वयं हो उपरोक्त नाम से दर्ज भूमि का खातेदार घोषित करवाकर उक्त जमाबंदी में अपना वास्तविक नाम दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। इसलिये जरिये दुरूस्ती उक्त नाम दुरूस्त किया जाना न्यायहित में उचित है। वाद पत्र डिक्री कर वादी को जमाबंदी चक 7 जीबी बी खाता सं. 52 में दर्ज मु.नं. 31 प.नं. 137/387 की 2.530है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि में सुखविन्द्र सिंह के नाम से दर्ज भूमि का खातेदार घोषित करते हुए रिकार्ड में दर्ज सोनी उर्फ मनजीत सिंह के स्थान पर सुखविन्द्र सिंह नाम अंकित किये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से राजपैरोकार उपस्थित होकर जवाब सरकार पेश किया। राजैपेरोकार राज्य हित को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करने के लिए निवेदन किया। तहसीलदार श्रीविजयनगर से वाद पत्र के संबंध में जांच रिपोर्ट तलब की गई जो कि तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2025/1787 दिनांक 15.05.2025 के प्राप्त हुई तथ्यात कायम की गई जो इस प्रकार से है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:37:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर

1. आया कि वादी विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 7 जीबी बी के खाता सं. 52 में मु.नं. 31 में वादी के नाम से दर्ज 2.530है. नहरी

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

मय खाला खातेदारी भूमि में नाम सोनी उर्फ मनजीत सिंह के स्थान पर सुखविन्द्र सिंह की दुरूस्ती करवा दर्ज करवाने का अधिकारी है ?

— वादी

2. अनुतोष, न्यायालय की आज्ञा से।

3. वादी की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र वादी सुखविन्द्र सिंह का पेश हुआ, जिस पर ब्यान दर्ज कर दस्तावेज प्रदर्श लगाए गए। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादी अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि वादी के नाम से उसके माता पिता के द्वारा वादी के बाल्यकाल में खरीदी गई थी, जिस समय वादी का घरू नाम सोनी उर्फ मनजीत सिंह दर्ज करवा दिया गया, जबकि वादी के शैक्षणिक तथा अन्य पहचान के समस्त देस्तावेजों में नाम सुखविन्द्र सिंह अंकित है जो कि वादी का सही व वास्तविक नाम है। वादी के राजस्व रिकार्ड तथा पहचान के दस्तावेजों में नाम की भिन्नता के कारण वादी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित होना पड़ रहा है। न्यायहित में शुद्धि की जानी अत्यंत आवश्यक है ताकि वादी अपने खातेदारी अधिकारों का उपभोग कर सके। वाद पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील वादी पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रकरण में वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष ही एकमात्र वाद बिन्दू है जिसके आधार पर अनुतोष के संबंध में निर्णय होना है, ऐसी स्थिति में दोनों विवाद्यको को एक साथ निर्णित किया जा रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर गहनता से परिशीलन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श —1 वाद पत्र है, जिसके अभिवचनों पर मनन किया गया। प्रदर्श —2 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी है जिस अनुसार चक 7 जीबी बी के खाता सं. 52 में मु.नं. 31 प.नं. 137/387 की कुल 2.530है. नहरी मय खाला भूमि में से 1/2 हिस्सा सोनी उर्फ मनजीत सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति कम्बोसिख सा. चक 8 जीबी खातेदार दर्ज है। प्रदर्श 3 प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत 7 जीबी है जिसके द्वारा सोनी उर्फ मनजीत सिंह गलत नाम तथा सुखविन्द्र सिंह वास्तविक नाम होना अंकित किया गया है। प्रदर्श—4 खाता दुरूस्ती आवेदन पत्र दिनांक 07.01.2025 जिस पर पटवारी, भू.अ.नि. व तहसीलदार श्रीविजयनगर की रिपोर्ट अंकित है व फर्द मौका दिनांक 08.01.2025 संलग्न है, जिसके द्वारा सोनी उर्फ मनजीत सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह का वास्तविक नाम सुखविन्द्र सिंह होना अंकित है तथा तहसीलदार रिपोर्ट के द्वारा नाम दुरूस्त करना प्रस्तावित किया गया है। प्रदर्श 5 वादी द्वारा स्टाम्प पत्र पर प्रस्तुत शपथ पत्र नाम दुरूस्त करने बाबत है। प्रदर्श 6ए टीसी फोर्म है, जिसमें नाम सुखविन्द्र सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:37:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर

व पिता का नाम सुरेन्द्र सिंह अंकित है। प्रदर्श 7ए आधार कार्ड सुखविन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह है। प्रदर्श 8 नामान्तरकरण सं. 33 स्वीकृत दिनांक 28.08.1997 है, जिसके द्वारा भूमि जसवन्त कौर जोजा रोनकसिंह रो बैयनामा दिनांक 11.04.1994 के आधार पर परमजीत सिंह व सोनी उर्फ मनजीत सिंह पि. सुरेन्द्र सिंह के नाम से दर्ज हुई है। प्रदश 9 प्रमाणित प्रतिलिपि बैयनामा जसवन्त कौर जरिए मु.आ. बहक परमजीत सिंह, सोनी उर्फ मनजीत सिंह दिनांक 05.04.1994 है जो कि उप पंजीयक श्रीविजयनगर के द्वारा दिनांक 11.04.1994 को निष्पादित मानते हुए पंजीबद्ध किया है। राशन कार्ड सुखविन्द्र सिंह प्रदर्श 10ए है तथा जन आधार कार्ड सर्वजीत कौर सं. 4780207157 प्रदर्श 11ए है उक्त दोनों दस्तावेजों में नाम सुखविन्द्र सिंह अंकित है। तहसीलदार श्रीविजयनगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मुताबिक रिपोर्ट भूमि ई.सं. 33 बेचान के द्वारा रकबा परमजीत सिंह, सोनी उर्फ मनजीत सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति कम्बोसिख दर्ज किया गया है। बैयनामा किये जाने तक प्रार्थी का नाम सोनी उर्फ मनजीत सिंह ही था।

5. भूमि रिकार्ड में सोनी उर्फ मनजीत सिंह के नाम से बैयनामा के आधार पर दर्ज की गयी है, बैयनामा में नाम सोनी उर्फ मनजीत सिंह ही नाम दर्ज है। वादी स्वयं वाद पत्र के अभिवचनों में यह स्वीकार करते है कि बैयनामा के समय उनके बाल्यकाल का स्नेहवश पुकारे जाने वाला नाम अंकित करवा दिया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत मद्सं. 4 में उल्लेखित किये गये दस्तावेजों में नाम सुखविन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह अंकित है। प्रदर्श 3 सरपंच द्वारा जारी प्रमाण में सोनी उर्फ मनजीत सिंह का वास्तविक नाम सुखविन्द्र सिंह होना अंकित किया गया है। प्रदर्श 4 खाता दुरूस्ती आवेदन पर पर अंकित रिपोर्ट पटवारी, भू.अ.नि. व तहसीलदार के द्वारा सोनी उर्फ मनजीत सिंह का सही नाम सुखविन्द्र सिंह दुरूस्त करने की अनुशंषा की गयी है व संलग्न फर्द मौका दिनांक 08.01.2025 में भी "पूछताछ में सोनी उर्फ मनजीत सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह का वास्तविक नाम मुताबिक स्थानान्तरण पत्र एवं दस्तावेजों में सुखविन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह है" अंकित है। वादी के द्वारा इस बाबत प्रदर्श–5 स्टाम्प पत्र पर शपथ पत्र पेश किया गया है। पत्रावली के ग्रामीण सेवा शिविर ग्राम पंचायत 7 जीबी में दिनांक [illegible].10.2025 को प्रस्तुत किये जाने पर फर्द मौका तैयार किया गया जिसमें मजमा–ए–आम में नाम के संबंध में जांच एवं पूछताछ की गई जिसमें ग्रामीणों द्वारा नाम सुखविन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह होने की पुष्टि की गई है। ऐसे में न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि राजस्व रिकार्ड चक 7 जीबी बी के संयुक्त खाता सं. 52 में मु.नं. 31 प.नं. 137/387 की कुल 2.530है. नहरी मय खाला भूमि के 1/2 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:37:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

के खातेदार सोनी उर्फ मनजीत सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह का नाम सुखविन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिया जाना एवं उक्त भूमि पर वादी को खातेदार घोषित किया जाना उचित है। सारतः वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

–: आदेश :–

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादी सुखविन्द्र सिंह को विवादित भूमि चक 7 जीबी बी के संयुक्त खाता सं. 52 में 1/2 हिस्सा जोकि सोनी उर्फ मनजीत सिंह के नाम से दर्ज है की भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा चक 7 जीबी बी के संयुक्त खाता सं. 52 में मु.नं. 31 प.नं. 137/387 की कुल 2.530है. नहरी मय खाला भूमि के 1/2 हिस्सा के खातेदार सोनी उर्फ मनजीत सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह का नाम संशोधित/विलोपित कर सुखविन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीविजयनगर को दिए जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। शेष अंकन यथावत रहेगा। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16/12/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2026.01.20 18:37:49 IST
Reason: SelfAttested